कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)

Website – www.nagarnigamdhamtari.org, Email ID – commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

–:: रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) ::–

क्रमांक/आयुक्त/लोक कर्म/ई.ओ.आई./2016/2461 धमतरी, दिनांक 18/01/2016

नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा बालक चौक स्थित जर्जर शॉपिग काम्प्लेक्स का डिस्मेंटलिंग कार्य कराया जाना है, जिसकें लिए इस प्रकार का कार्य सम्पादन करने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार से रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.)/एकमुश्त दर प्रस्ताव बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 25/01/2016 को अपरान्ह 03.00 बजे तक संस्था के पूर्ण विवरण एवं कार्य के लिए निर्धारित अमानत राशि 50000.00 रूपये का एफ.डी.आर. (जो आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी के नाम से देय हो) सहित आमंत्रित की जाती है। प्राप्त ई.ओ.आई. प्रस्ताव उसी दिन सायं 05.00 बजे खोली जायेगी।

कार्य से संबंधित विस्तृत शर्ते एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में निगम कार्यालय के लोक कर्म शाखा से प्राप्त की जा सकती है, विभागीय वेबसाईट **www.nagarnigamdhamtari.org** तथा **www.uad.cg.gov.in** में अवलोकन एवं डाउनलोड भी की जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम धमतरी

पृ.क्रमांक/आयुक्त/लोक कर्म/ई.ओ.आई./2016/2462 धमतरी, दिनांक 18/01/2016

प्रतिलिपि –

01. माननीय महापौर/अध्यक्ष (स्पीकर), नगर पालिक निगम धमतरी।
02. प्रभारी सदस्य, लोक निर्माण विभाग/स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, नगर पालिक निगम धमतरी।,
03. कलेक्टोरेट, जिला – धमतरी।
04. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), धमतरी।
05. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी।
06. प्रेषक, नगर पालिक निगम धमतरी को सूचना फलक में चस्पा करने हेतु।
07. ग्रंथपाल, नगर पालिक निगम धमतरी को प्रकाशन पश्चात निविदा सूचना का पेपर कतरन प्रस्तुत करने हेतु।
08. डाटा सेन्टर प्रभारी, नगर पालिक निगम धमतरी उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट में अपलोड करें तथा डाटा सेन्टर रायपुर को भेजे।
09. संपादक, प्रतिनिधि, दैनिक ......प्रखर समाचार...... समाचार पत्र को 2X8 सें.मी. साईज में उपरोक्त विज्ञापन प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम धमतरी

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

Website – www.nagarnigamdhamtari.org, Email ID – commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

–:: निगम की बालक चौक स्थित जर्जर शांपिग काम्प्लेक्स का डिस्मेंटलिंग कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रण हेतु नियम एवं निविदा शर्ते ::–

01. नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रण **सूचना क्रमांक** 2461 **दिनांक** 18/01/2016 तहत् विज्ञापित उक्त कार्य के लिए ई.ओ.आई. में इस प्रकार का कार्य सम्पादन करने वाले इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म भाग ले सकते है।

02. इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म को उपरोक्त जर्जर शापिंग काम्प्लेक्स के डिस्टमेंटलिंग कार्य हेतु स्वहस्ताक्षरित/मुद्रित ई.ओ.आई. वित्तीय प्रस्ताव/एकमुश्त दर अपने फर्म के ओरिजनल लेटर हेड में प्रस्तुत करना होगा।

03. डिस्मेंटलिंग कार्य के लिए ई.ओ.आई. प्रस्ताव 02 लिफाफे में (वित्तीय प्रस्ताव एवं निर्धारित अमानत राशि, जो कि एफ.डी.आर. के रूप में आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी के नाम से देय हो पृथक–पृथक) स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित तिथि/समयावधि में अपरान्ह 3:00 बजे तक जमा करना होगा। अन्य रीति से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त ई.ओ.आई./प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।

04. निविदा खोलने की कार्यवाही दौरान सर्वप्रथम अमानत राशि जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा, निर्धारित अमानत राशि जमा तथा उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मूल ई.ओ.आई. (वित्तीय प्रस्ताव) जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा। निर्धारित अमानत राशि जमा/उपयुक्त नहीं पाये जाने पर मूल ई.ओ.आई. (वित्तीय प्रस्ताव) जमा वाला लिफाफा नहीं खोला जायेगा तथा संबंधित प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्तुत ई.ओ.आई./वित्तीय प्रस्ताव निरस्त माना जायेगा।

05. सशर्त ई.ओ.आई. प्रस्ताव स्वीकार नहीं की जावेगी।

06. ई.ओ.आई. प्रस्ताव/दर स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी का किसी भी ई.ओ.आई./प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव/दर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

07. इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म को अपनी ई.ओ.आई. दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा। काटा–पीटी, अस्पष्ट अथवा ओव्हर राईटिंग की हुई ई.ओ.आई. अस्वीकार की जावेगी।

08. प्राप्त ई.ओ.आई. खोलने, दरें लिस्टिंग किये जाने के उपरांत सफल प्रस्तावकर्ता की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. को छोड़कर शेष प्रस्तावकर्ता की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. वापस/रिलीज कर दी जायेगी। सफल प्रस्तावकर्ता की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. संतोषप्रद ढ़ग से कार्य सम्पादन उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी।

09. सफल प्रस्तावकर्ता को ई.ओ.आई. दर की स्वीकृति उपरांत कार्यालयीन सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर ई.ओ.आई. प्रस्ताव की स्वीकृत सम्पूर्ण राशि अग्रिम में एकमुश्त निगम कोष में जमा कराते हुए अनिवार्य रूप से डिस्मेंटलिंग कार्य हेतु कार्यानुबंध निष्पादन करना होगा। अन्यथा कार्य के लिए संबंधित प्रस्तावकर्ता की जमा अमानत राशि राजसात कर स्वीकृत दर पर डिस्मेंटलिंग कार्य संपादन कराये जाने हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही जावेगी।

10. अनुबंध निष्पादन उपरांत सफल प्रस्तावकर्ता को कार्यालयीन सूचना अनुसार कार्यादेश जारी किये जाने पर निर्धारित समयावधि 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से साईट इंजीनियर के दिशा–निर्देशों के अनुसार जर्जर शापिंग काम्प्लेक्स भवन का डिस्मेंटलिंग कार्य पूर्ण कर भूमि स्थल को समतल कर निगम को उपलब्ध कराना होगा।

11. जर्जर शापिंग काम्प्लेक्स भवन के डिस्मेंटलिंग से निकला समस्त मलबा, शटर, छड़ इत्यादि सफल प्रस्तावकर्ता का होगा, जिसके एवज में प्रस्तावकर्ता द्वारा निगम को ई.ओ.आई. प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित/स्वीकृत राशि देय होगी। सफल प्रस्तावकर्ता को डिस्मेटलिंग से निकले समस्त मलबा, शटर, छड़ इत्यादि को स्वंय के व्यय से काम्प्लेक्स परिसर से अन्यत्र हटाना, ट्रासपोर्टिंग आदि कार्य कराना होगा।

12. सफल प्रस्तावकर्ता को जर्जर शापिंग काम्पलेक्स भवन का डिस्मेंटलिंग कार्य पूर्णतः सावधानीपूर्वक एवं जान–माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सम्पादित करना होगा। डिस्मेंटलिंग कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा का दायित्व भी सफल प्रस्तावकर्ता की होगी। कार्य में किसी भी प्रकार की नुकसानी एवं जान–माल के क्षति का दायित्व निगम का नहीं होगा।

13. जर्जर शापिंग काम्पलेक्स भवन के डिस्मेंटलिंग कार्य से या कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के दुर्घटना, जन–धन की हानि आदि या उसके क्लेम भुगतान की जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी।

14. उपरोक्त शर्तो के उल्लघंन, कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु **आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी** का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम धमतरी